

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिविजन, बॉसगॉव-गोरखपुर।

मुकदमा नम्बर - 1016/2013

चन्द्रबली -----बनाम----- पप्पू वगैरह

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 7ग:-

दिनांक 10-12-2020:-

पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली आज प्रार्थना-पत्र 7ग पर आदेश हेतु नियत है। 7ग प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्षों को सुना जा चुका है।

7ग प्रार्थना-पत्र वादी द्वारा इस इस आशय से दाखिल किया गया है कि वाद-पत्र के नक्शा-नजरी में लाल रंग से दर्शित भूमि पर प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष जबरजस्ती कब्जा करने के फिराक में हैं तथा उक्त विवादित भूमि पर बने मकान, नाद, खूटा, चरन को ध्वस्त कर वादी को बेदखल करने के प्रयास में हैं। अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष को वाद के अंतिम निस्तारण तक निषेधित कर दिया जाए कि विवादित भूमि पर किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। इस प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा कथन किया गया है कि वाद-पत्र के अन्त में दिया गया नक्शा-नजरी बिल्कुल गलत व मौके के खिलाफ है। विवादित जमीन के बावत कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है न तो वादी का कोई टाइटिल है। न वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है न तो वादी की कोई अपूरणीय क्षति है। प्रश्नगत आराजी का आराजी नम्बर 161 रकबा 1.19 एकड़ रहा है। उसका पुराना नम्बर 124 रकबा 1.19 एकड़ रहा है तथा उसमें नम्बर 61क रकबा 0.43 डि० कायम हुआ व आराजी संख्या-61ख रकबा 0.076 एकड़ आबादी रही। दौरान चकबन्दी उक्त रकबा को आबादी के खाते के रूप में दर्ज किया गया तथा उसका नया नम्बर 61 ख रकबा 0.76 डि० कायम हुआ। उसी रकबा में वादी का मकान है किन्तु वादी ने गलत नक्शा-नजरी देकर सही तथ्य को छिपाकर यह दावा किया है। अतः 7ग प्रार्थना-पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। आराजी संख्या-61क रकबा 0.43 एकड़ के मालिक जय प्रकाश ने प्रतिवादी संख्या-01 के पक्ष में अपना हक व हिस्सा जिसे अक्षर 'अ,ब,स,द' से दर्शाया गया है का बैनामा उचित कीमत देकर दिनांक 20-05-2011 को सब रजिस्ट्रार गोला में करके प्रतिवादी संख्या-01 को काविज दखील करा दिया तथा प्रतिवादी संख्या-01 अपने कयशुदा जमीन पर काविज दखील चला आ रहा है। उक्त दोनों रजिस्ट्री बैनामा जोत के आधार पर प्रतिवादी संख्या-01 जो प्रतिवाद-पत्र के नक्शा-नजरी में अक्षर 'अ,ब,स,द' से दिखाया गया है उस पर प्रतिवादी संख्या-01 अपना छप्पर टीन शेड के छाजन का मकान बनाकर रहता है। इसमें नाद के अलावा कमशः चरन, हैण्ड पम्प व दरख्तान कायम किया है। अतः 7ग प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाए।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र 7ग में वाद-पत्र के नक्शा-नजरी में लाल रंग से दर्शित जमीन पर प्रतिवादी संख्या-01 के विरुद्ध वाद के अंतिम निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। इस स्तर पर वादी द्वारा मुख्यतः तीन बिन्दुओं को साबित किया जाना आवश्यक है-

- 1- प्रथम दृष्टया मामला
- 2- सुविधा का संतुलन
- 3- अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला:-

वादी द्वारा 7ग प्रार्थना-पत्र के माध्यम से प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरुद्ध विवादित भूमि जिसे वाद-पत्र में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है तथा

उसे आराजी संख्या-61क रकबा 0.174 हेक्टेयर का अंश होना दर्शित किया गया है। उक्त आराजी को वादी द्वारा अपने वाद-पत्र में अक्षर 'क,ख,ग,घ,ङ,च' से दिखाया गया है तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष तथा प्रतिवादी तृतीय पक्ष की संयुक्त भूमिधरी आराजी होने का कथन करते हुए यह कथन किया गया है कि उक्त आराजी के बंटवारे का वाद संख्या-84/2011 विन्ध्याचल बनाम शशिप्रभा में अंतिम डिक्री राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांकित 30-10-2012 को पारित किया जा चुका है जिसमें लाल रंग से दर्शित जमीन का हिस्सा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को कोर्सा में मिला। प्रतिवादी तृतीय पक्ष की सहमति से वादी द्वारा उक्त जमीन पर अपना निर्माण किया गया है। प्रतिवादी संख्या-03 का जवाबदावा कागज संख्या-43क में भी यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि जिसे नक्शा-नजरी वाद-पत्र में लाल रंग से दिखाया गया है उस पर अर्सा 21-22 साल पहले से मुद्दई प्रतिवादी संख्या-03 की रजामन्दी से अव्वल मिट्टी की दीवाल बनाकर उस पर का छाजन डालकर अपना रेहाइशी मकान तामीर किया है तथा शेष जमीन पर अपना नाद, खूटा कायम किया है तथा उस जमीन पर अपने परिवार के साथ रहता चला आ रहा है। इसके साथ-साथ इस प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में भी यह कथन किया है कि सन् 2012 में वादी के उक्त मकान में आग लग गयी जिसमें सरकारी मदद मिली तथा सरकारी मदद से टीन के छाजन डालकर उसमें अपने परिवार के साथ रहता चला आ रहा है। पत्रावली पर दाखिल खतौनी कागज संख्या 12ग से स्पष्ट है कि आराजी संख्या-61क कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्ज है तथा वादी द्वारा अपने वाद-पत्र में यह कथन किया गया है कि आराजी संख्या-61क का बंटवारा राजस्व न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा किए गए बंटवारे का कागज संख्या 69ग व रंगभेदी नक्शा 69ग/3 पत्रावली पर संलग्न है जिसमें विवादित भूमि को नीरज का होना दर्शित है तथा नीरज ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि उसकी सहमति से वादी द्वारा उक्त जमीन पर अर्सा 20-22 वर्ष पूर्व से अपना मकान बनाकर आबाद है। राजस्व न्यायालय की अंतरिम डिक्री 70ग पत्रावली पर संलग्न है तथा रंगभेदी नक्शा से स्पष्ट है कि विवादित भूमिखण्ड नीरज कुमार को बंटवारे में मिली है जिसे उसकी सहमति से वादी उपयोग व उपभोग कर काविज दखील है। प्रतिवादी के द्वारा अपनी आपत्ति में कथन किया गया है कि विवादित भूमि को आबादी के रूप में घोषित किया जा चुका है। लेकिन इस संबंध में कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। दाखिल खतौनी कागज संख्या-12ग व राजस्व न्यायालय द्वारा किए गए फाट से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी 61क कृषि योग्य भूमि के रूप में है। वाद-पत्र के पैरा-2 में वादी द्वारा कथन किया गया है कि 61क रकबा 0.174 हेक्टेयर जिसे नक्शा-नजरी वाद-पत्र में 'क,ख,ग,घ,ङ,च' से दिखाया गया है उसके संयुक्त भूमिधर आराजी जिसे अपने जवाबदावा के पैरा-2 में वादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी 61क उसकी संयुक्त भूमिधरी आराजी है जिसका बंटवारा राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया है। राजस्व न्यायालय के बंटवारे में विवादित भूमि जिसे नक्शा-नजरी वाद-पत्र में लाल रंग से दिखाया गया है को नीरज कुमार के हिस्से में प्राप्त हुई तथा नीरज कुमार के द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि उसकी सहमति से वादी उक्त जमीन पर अपना निर्माण कर 20-22 वर्ष पूर्व से ही आबाद है। प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा उक्त विवादित जमीन को आराजी संख्या-61क का न होकर आराजी संख्या-61ख का होने का कथन किया गया है। यह साक्ष्य का विषय है कि विवादित भूखण्ड आराजी संख्या-61क न होकर आराजी संख्या-61ख है जिसे साबित किया जाना शेष है। उपरोक्त विश्लेषण के

आधार पर इस तरह वादी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है।

सुविधा का संतुलन:-

7ग प्रार्थना-पत्र में विवादित भूमि का नक्शा वाद-पत्र में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाते हुए आराजी संख्या-61क रकबा 0.174 हेक्टेयर का अंश होना दर्शित किया गया है तथा राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त आराजी का बंटवारा होने का साक्ष्य पत्रावली पर संलग्न है तथा बटवारे में विवादित भूमि नीरज कुमार के हिस्से में प्राप्त होने का कथन किया गया है तथा नीरज कुमार द्वारा अपने जवाबदावा में यह स्वीकृत तथ्य है कि उसकी सहमति से वादी उक्त जमीन पर अपना निर्माण कर 20-22 वर्ष पूर्व से आबाद है। प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किया गया है कि वादी ने गलत नक्शा-नजरी देकर सही तथ्य के विपरीत दावा किया है। आराजी संख्या-61क के मूल मालिक नवरतन के लड़के नीरज कुमार ने 24-02-2011 को अपने हक व हिस्सा आराजी संख्या-61क का बैनामा प्रतिवादी संख्या-01 के पक्ष में कर दिया है तथा जिसे वाद-पत्र में आराजी संख्या-61क के रूप में दर्शाया गया है। उसे प्रतिवादी ने अपने नक्शा-नजरी में आराजी संख्या 61 ख के रूप में दर्शाया है। यह साक्ष्य का विषय है कि विवादित भूखण्ड आराजी संख्या-61क का भाग है या आराजी संख्या-61ख का भाग है। लेकिन इस स्तर पर जय प्रकाश द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित भूखण्ड जिसे नक्शा-नजरी वाद-पत्र में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है पर 20-22 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर आबाद हैं तथा उक्त जमीन 61क का अंश है जिसे नीरज कुमार के हिस्से में राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारे में प्राप्त हुआ है तथा नीरज कुमार द्वारा उक्त भू-भाग को सहमति से वादी को आबाद होने के लिए दिया गया है। पत्रावली पर संलग्न राजस्व न्यायालय का बंटवारा आदेश व रंगभेदी नक्शा संलग्न है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

अपूरणीय क्षति:-

वादी द्वारा अपने वाद-पत्र में विवादित भूमि को आराजी संख्या-4क रकबा 0.174 हेक्टेयर का अंश होना दर्शित करते हुए उस पर अपना मकान, सहन, नाद, खूटा कायम होना दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में उक्त भूखण्ड को आराजी संख्या-61ख का होने का कथन किया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारा का अंतिम आदेश व रंगभेदी नक्शा संलग्न है जिसमें विवादित भूखण्ड को नीरज कुमार का होना दर्शित है। साथ ही साथ नीरज कुमार द्वारा अपने जवाबदावा में यह कथन किया गया है कि उसकी सहमति से वादी उक्त जमीन पर 20-22 वर्ष पूर्व से आबाद है। ऐसी स्थिति में विवादित भूखण्ड के निर्माण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर 7ग प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

7ग प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूखण्ड जिसे नक्शा-नजरी वाद-पत्र में लाल सुर्ख स्याही से दर्शित किया गया है पर कोई हस्तक्षेप न करे। पत्रावली दिनांक 05-01-2021 को वास्ते साक्ष्य/जिरह पेश हो।

सिविल जज सी0डि0, बाँसगाँव
गोरखपुर।

